न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली **(RAS)** उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 113/2019

दायर तारीख 22.05.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी भीलवाड़ा।
2. क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार

02. क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 27.05.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा की आराजी नम्बर 751/52 रकबा 35–03 बीघा भूमि गै0मु0 जंगन वन विभाग के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। किन्तु वर्णित भूमि नक्शे में तरमीम नही होने से नक्शे में तरमीम के आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षी क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़ उपस्थित जिन्होंने प्रस्तावित DILRMP के तहत नक्शे में सहमति के तौर पर फर्द अहकाम पर सहमति दी की ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा आराजी नम्बर 751/52 रकबा 35–03 बीघा भूमि की तरमीम वन विभाग के आराजी नम्बर 51 से लगती हुयी की जाने बाबत् अपनी सहमति अंकित की हैं। [illegible]। [illegible] राजस्व नक्शे में तरमीम कराना फरमावें।

प्रकरण का DILRMP के तहत् निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु विपक्षीगण क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़ ने ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा आराजी नम्बर 751/52 रकबा 35–03 बीघा भूमि की तरमीम वन विभाग के आराजी नम्बर 51 से लगती हुयी की जाने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा आराजी नम्बर 751/52 रकबा 35–03 बीघा भूमि की तरमीम वन विभाग के आराजी नम्बर 51 से लगती हुयी की जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं। तहसीलदार [illegible] अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner